कार्यालयः—जिला कार्यक्रम अधिकारी, मीरजापुर।

पत्रांक C-3058 /जि0का0अ0/आ0बा0चयन/2025—26 दिनांकः 13 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि शासनादेश सं0— /2025/ 3313 / 58—1—2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद मीरजापुर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट http:// upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण वार्डवार/ग्राम सभावार/परियोजनावार निम्नवत हैः—

क्र0सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका के पदों की संख्या
1	राजगढ़	ग्रामीण	111
2	जमालपुर	ग्रामीण	126
3	नरायणपुर	ग्रामीण	95
4	सीखड़	ग्रामीण	34
5	मझवां	ग्रामीण	46
6	मड़िहान	ग्रामीण	80
7	पहाड़ी	ग्रामीण	57
8	नगर/स्लम	शहरी	88
9	सीटी ग्रामीण	ग्रामीण	28
10	कोन	ग्रामीण	44
11	छानबे	ग्रामीण	69
12	लालगंज	ग्रामीण	67
13	हलिया	ग्रामीण	99
Total-----------------------			**944**

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, साथ ही विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड होगी।

परियोजनावार एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट/विकास भवन/तहसील/विकास खण्ड इत्यादि सभी कार्यालय बोर्ड पर चस्पा की गयी हैं,साथ ही विभागीय वेबसाइट http:// upanganwadibharti.in पर अपलोड हैं।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश—

1 विज्ञापन में प्रकाशित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।

2 रिक्त पदों (आंगनबाडी सहायिकाओं) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।

3. आवेदिका को रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु ग्रामसभा/वार्ड (शहरी) का स्थाई निवासी होना अनिवार्य हैं। अन्य ग्राम सभा /वार्ड के आवेदन पत्र मान्य नही होंगें।

4. आवेदिका की आयु निर्धारित तिथि 01.07.2025 (कट ऑफ डेट) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. आयु के संबंध में हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

6. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट http:// upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार किए जायेगें। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किए जायेगें।

7. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 13.11.2025 से 06.12.2025 के मध्य रात्रि 12:00 बजे तक ही स्वीकार किए जायेगें।

8. विज्ञप्ति में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट या बढ़ भी सकती हैं।

9. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत शासनादेश एवं सूचना विभागीय वेबसाइट http:// upanganwadibharti.in पर उपलब्ध हैं। साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्य दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

SCAN AnyScanner

10. आवेदन करने के पूर्व शासनादेश दिनांक 17.09.2025 का अध्ययन भली–भाँति कर लें। यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती हैं, या कोई तथ्य/आकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके लिए आवेदिका स्वयं उत्तरदायी होगी। त्रुटि सुधार हेतु किसी भी दशा में ऑफलाइन आवेदन/अभिलेख पर विचार नहीं किया जायेगा। अतएव अपेक्षित है कि आवेदन पत्र के समस्त कॉलम वांछित प्रविष्टियां अंकित करने के पश्चात् भली भांति परीक्षण करनें के उपरान्त ही सबमिट करें।

11. आय प्रमाण पत्र के संबंध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14.09.2015 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/–वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460/–वार्षिक आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा। तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरित निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। (आय प्रमाण पत्र के संबंध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3959/1–9–11–रा0–9 दिनांक 30.09.2011 {यथा संशोधित} के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हों।

12. जाति व निवास प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सके।

13. आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता क्रमानुसार निम्नवत हैः–

(I) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की विधवा बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

(II)उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की तलाकशुदा/परित्यकता बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

(III) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

(IV) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की विधवा ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

(V) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की तलाशुदा/परित्यकता ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

(VI) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

नोटः– (I) विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल ही मान्य होगी।

(II) तलाकशुदा/परित्यकता के संबंध में विधिक/न्यायालय का आदेश ही मान्य होगा।

भवदीया,

(वाणी वर्मा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
मीरजापुर।

पृष्ठांकन संख्या– C-3058/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय मीरजापुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय मीरजापुर।
4. समस्त उपजिलाधिकारी मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी मीरजापुर को इस आशय से कि जनपद.मीरजापुर के उपरोक्त उल्लिखित आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों की विज्ञप्ति न्यूनतम दर पर एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के साथ भुगतान हेतु बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, सदस्य/प्रस्तुतकर्ता, मीरजापुर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें, एवं प्रचार–प्रसार करें/करायें।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, मीरजापुर को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध कराने के साथ ही समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए प्राप्ति रसीद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सभासद को विज्ञप्ति का विवरण प्रचार–प्रसार हेतु प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
9. पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
मीरजापुर।

AnyScanner